प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छतीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 898/2007

अपीलार्थी - राजेश कुमार पाण्डेय

बनाम

प्रत्यर्थी - **विद्यानंद ठाकुर एवं अन्य**

आदेश हेतु विचारार्थ

सही/-

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

मै सहमत हूं।

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत

सही

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री एल.सी. भादू एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीशगण

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 898/2007

अपीलार्थी - राजेश कुमार पाण्डेय, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री रामझूल पाण्डेय , निवासी बुधवारी बाजार के पास, बीरगांव, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी - 1. विद्यानंद ठाकुर, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता श्री नागेश्वर ठाकुर , निवासी सेक्टर-2, भिलाई, नगर एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

2. अनिल कुमार जैन, पिता श्री गुलाबचंद जैन , निवासी मोहबा बाजार, रायपुर, नगर एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा: मंडलीय प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मदीना मंज़िल, जेल रोड, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. प्रधान, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3/बीमा कंपनी की ओर से श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता

(मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील)

आदेश

(दिनांक 16.11.2007 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू, द्वारा पारित किया गया—

1. दावाकर्ता ने यह अपील मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1988') की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिकर राशि में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की है, क्योंकि वह दिनांक 30-03-2007 को 11वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.), रायपुर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 74/2004 में पारित अधिनिर्णय से असंतुष्ट है। उक्त अधिनिर्णय द्वारा माननीय अधिकरण ने दावाकर्ता को निम्न मदों में कुल 2,03,500/- रुपये की प्रतिकर प्रदान किया —

(i) भिलाई चिकित्सालय में उपचार हेतु 1,00,000/- रुपये।

(ii) काल्दा नर्सिंग होम में उपचार हेतु 25,000/-रुपये।

(iii) एम्बुलेंस शुल्क हेतु 1,500/- रुपये।

(iv) 3 वर्षों की आय की हानि हेतु 72,000/- रुपये (अधिकरण ने दावाकर्ता की आय 2,000/- प्रतिमाह आंकी)।

(v) वेदना एवं कष्ट हेतु 5,000/- रुपये।

इस प्रकार कुल 2,03,500/- रुपये प्रदान किए गए।

2. संक्षेप में इस अपील के निराकरण हेतु आवश्यक तथ्य यह हैं कि दिनांक 22-12-2001 को दावाकर्ता राजेश कुमार पाण्डेय क्रेन वाहन क्रमांक एम.पी.-23/जीए-7949 पर हेल्पर के रूप में कार्यरत था। उसी दिन लगभग शाम 5 बजे अनावेदक विद्यानंद ठाकुर उक्त क्रेन को भवानी टिम्बर, रनवाभाटा, थाना खमतराई में चला रहा था। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा क्रेन को उपेक्षापूर्वक एवं तेज गति से संचालित करने के कारण क्रेन का एक भाग जीवित विद्युत तार से स्पर्श कर गया, जिससे दावाकर्ता, भारत वर्मा तथा ईश्वर सिन्हा को विद्युत धारा लगने से गंभीर जलन की चोटें आईं। दावाकर्ता स्थायी रूप से

विकलांग हो गया, जबकि ईश्वर सिन्हा की करंट लगने से मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 4/2002 भा.दं.सं. की धारा 304-क के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। दावाकर्ता को काल्दा नर्सिंग होम तथा तत्पश्चात सेक्टर-9 चिकित्सालय, भिलाई में भर्ती किया गया। उसके हाथ एवं पैर में गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। उपचार में लगभग 2,00,000/- रुपये का व्यय हुआ। चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के अनुसार उसे 60% स्थायी विकलांगता हुई। दुर्घटना के समय उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी तथा वह 2,000/- रुपये प्रतिमाह एवं 50/- रुपये दैनिक भत्ता अर्जित करता था। वाहन के स्वामी एवं चालक (अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2) अनुपस्थित रहे और कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तथापि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने जवाब प्रस्तुत कर दावा किया कि उक्त दुर्घटना मोटर दुर्घटना की परिधि में नहीं आती।

3. विवाद्यक विरचित कर पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। साक्ष्य एवं अभिलेखों के परीक्षण उपरांत अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किया।

4. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा यह कहते हुए प्रत्याक्षेप भी दायर की गई कि दुर्घटना अधिनियम, 1988 की परिधि में नहीं आती तथा दावाकर्ता प्रतिकर का अधिकारी नहीं है।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

6. प्रतिकर राशि को चुनौती देने के संबंध में बीमा कंपनी ने अधिनियम, 1988 की धारा 170 के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है, अतः वह प्रतिकर राशि को चुनौती देने की अधिकारी नहीं है। कंपनी केवल धारा 149(2) में निहित आपत्तियाँ ही उठा सकती है। अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 3/बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने केवल यह तर्क रखा कि यह दुर्घटना मोटर दुर्घटना की परिधि में नहीं आती और दावाकर्ता धारा 166 के अंतर्गत प्रतिकर का अधिकारी नहीं है।

7. इसके विपरीत, दावाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दावाकर्ता को मोटर वाहन के उपयोग के दौरान गंभीर चोटें आईं, अतः वह दावा करने का अधिकारी है।

8. इस संदर्भ में अधिनियम, 1988 की धारा 165 यह प्रावधान करती है कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित कर सकती है, जो मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति के दावों का निर्णय करेगा। धारा 166 के अनुसार, ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर हेतु आवेदन अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः धारा 165 एवं 166 के संयुक्त पठन से स्पष्ट है कि मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न मृत्यु या शारीरिक क्षति के मामलों में दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

9. दावा आवेदन के कंडिका-4 से स्पष्ट है कि दिनांक 22-12-2001 को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा क्रेन चलाते समय उपेक्षा के कारण वह जीवित विद्युत तार से टकरा गई, जिससे दावाकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों को करंट लगा।

10. दावाकर्ता राजेश कुमार पाण्डेय ने साक्ष्य में कहा कि दुर्घटना के समय वे क्रेन से ट्रक खाली कर रहे थे। लापरवाही से क्रेन विद्युत तार से टकराई और उन्हें करंट लगा। उनका बायां पैर बुरी तरह जल गया, जिसे घुटने के नीचे से काटना पड़ा। भारत वर्मा ने भी शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य दिया। बीमा कंपनी द्वारा इस साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया। अतः यह सिद्ध है कि दावाकर्ता को मोटर वाहन के उपयोग से चोट आई। इसलिए वह धारा 166 के अंतर्गत दावा करने का अधिकारी है। बीमा कंपनी के तर्क में कोई सार नहीं है।

11. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि अधिकरण ने 60% स्थायी विकलांगता मानी है, तथापि केवल 3 वर्षों की आय में हानि दी गई। जबकि पैर कट जाने से वह पूर्णतः कार्य करने में असमर्थ है। उसकी उम्र 21 वर्ष है, अतः गुणक 17 लागू कर 4,08,000/- रुपये (17 × 24,000/-) रुपये प्रदान किए जाने चाहिए।

12. डॉ. मान्टा (साक्षी क्रमांक 2) ने साक्ष्य दिया कि दावाकर्ता 25-12-2001 से 14-02-2002 तक चिकित्सालय में भर्ती रहा। करंट से उसका पैर गंभीर रूप से जल गया था। 31-01-2002 को उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काटा गया। उन्होंने कहा कि इस कारण वह कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ है।

13. उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि पैर कट जाने के कारण दावाकर्ता आजीविका अर्जित करने हेतु किसी भी कार्य में संलग्न होने में असमर्थ है। यह स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता का मामला है। उसकी मासिक आय 2,000/- रुपये आंकी गई है तथा उम्र 21 वर्ष है। अनुसूची-II के अनुसार गुणक 17 लागू होगा। अतः वह 4,08,000/- रुपये का अधिकारी है।

14. परिणामस्वरूप, दावाकर्ता की अपील स्वीकार की जाती है। उसे 100% स्थायी विकलांगता के अंतर्गत 4,08,000/- रुपये के अतिरिक्त निम्न मदों में भी राशि प्राप्त होगी—

(i) भिलाई चिकित्सालय उपचार हेतु 1,00,000/-रुपये।

(ii) काल्दा नर्सिंग होम उपचार हेतु 25,000/-रुपये।

(iii) एम्बुलेंस शुल्क हेतु 1,500/-रुपये।

(iv) वेदना एवं कष्ट हेतु 5,000/-रुपये।

उक्त समस्त राशि पर दावा आवेदन की तिथि अर्थात 02-11-2004 से 6% वार्षिक ब्याज देय होगा।

सही/-	**सही/-**
एल.सी. भादू	**सुनील कुमार सिन्हा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**